संख्या-613/2022/5465/41-2022-96(सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 08 दिसम्बर, 2022

विषय:-जनपद मथुरा के नन्दगांव में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु भूमि पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6005/6-1-1/(144)/ब्र0ती0 वि0प0/ 2021**,** दिनांक 24.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मथुरा के नन्दगांव में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु भूमि पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, महावन, बल्देव, बरसाना, नन्दगांव एवं गोवर्धन धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विश्व-विख्यात स्थल है। यहाँ देश विदेश से लाखों पर्यटक श्रीकृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा दर्शनार्थ आते हैं। ब्रज क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत एवं पर्यटकों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-1548/79-वि0-1-17-1(क)/5-17, दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। उक्त परिषद के अध्यक्ष, मा0 मुख्यमंत्री जी हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गठन के उपरान्त शासन से लगभग 100 परियोजनायें स्वीकृत करायी गयी हैं, जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के कारण जनपद में स्थित धार्मिक महत्व के स्थलों का समुचित विकास हो रहा है। धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण ढ़ांचागत एवं अन्य सुविधाओं के सतत् विकास हेतु परिषद लगातार प्रयासरत है।

3- जनपद मथुरा में तीर्थ नगरी नन्दगांव धार्मिक एवं आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नगरी दिल्ली से कोसी होते हुए बरसाना-गोवर्धन आने वाले मार्ग पर स्थित है। यहाँ से बरसाना लगभग 08 कि0मी0 तथा कोकिला वन 03 कि0मी0 की दूरी पर है, जहाँ वर्षपर्यन्त सम्पूर्ण देश से श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि कई प्रदेशों से श्रद्धालु बसों के माध्यम से तीर्थ यात्रा करते हैं और बसों को यत्र-तत्र खड़े कर भोजन बनाते व नित्यक्रिया करते हैं। इनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति अच्छी नही होती है और वह अधिक खर्च उठाकर होटल आदि का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी प्रकार के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर वृन्दावन में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण किया गया है, जिसमें कई डॉरमेटरी, खुली रसोई, टॉयलेट आदि सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं। इस परिसर में बड़ी पार्किंग उपलब्ध हैं, जिसमें बसें पार्क की जाती हैं। यह सारी सुविधायें अत्याधिक कम कीमत पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसी मॉडल पर नन्दगांव में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को जन सुविधाययें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पर्यटक सुविधा केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

4- जनपद मथुरा में तीर्थ नगरी नन्दगांव में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु तहसील छाता के राजस्व ग्राम-नन्दगांव स्थित खसरा नं0-579 रकबा 2.424 है, खतौनी में श्रेणी-6-2 अकृषक भूमि उत्तर प्रदेश सरकार/प्लानिंग डिपार्टमेन्ट मथुरा दर्ज है तथा जो0च0आ0प0-45 में उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्धक प्लानिंग डिपार्टमेन्ट, मथुरा व जो0च0आ0प0-41 में ब्लाक दर्ज है। मौके पर स्थलीय जांच के अनुसार प्रश्नगत भूमि के मध्य से यशोदा कुण्ड हेतु पक्का रास्ता चल रहा है एवं अंशिक भाग में पूर्व से ही कांशीराम आवास बने हुए हैं। स्थल पर 0.065 हे0 भूमि में कटीले पेड़ एवं जंगल झाड़ी स्थित है एवं ब्लाक का एक पक्का कमरा बना हुआ दर्शाया जा रहा है, वह अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है तथा विगत कई वर्षो से अनुपयुक्त एवं अनुपयोगी स्थिति में है। नन्दगांव स्थित खसरा नं0-579 रकबा 2.424 हे0 में से रकबा 1.065 हे0 अविवादित भूमि नन्दगांव में यात्री सुविधा केन्द्र (टी0एफ0सी0) के निर्माण हेतु चयनित की गयी है। उक्त भूमि के संदर्भ में जिलाधिकारी, मथुरा की ओर से पत्र संख्या-334/सात-बी/ भू0व्य0/2021-22, दिनांक 01-09-2021 के द्वारा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ को तहसील छाता के राजस्व ग्राम नन्दगांव स्थित खसरा संख्या-579 रकबा 2.424 हे0 में से रकबा 1.065 हे0 भूमि नन्दगांव में यात्री सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण कराये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है, जिसे पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कराया जाना प्रस्तावित है ।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा के नन्दगांव में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु भूमि पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 05.12.2022 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) जनपद, मथुरा में तहसील छाता के राजस्व ग्राम नन्दगांव स्थित खसरा नं0-579 रकबा 2.424 हे0 में से रकबा 1.065 हे0 अविवादित भूमि नन्दगांव में यात्री सुविधा केन्द्र (टी0एफ0सी0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

के निर्माण हेतु चयनित भूमि को पर्यटन विभाग को नि:शुल्क हस्तान्तरण किया जाना।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाना।

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
4. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रत तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
5. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   वित्त विभाग/न्याय विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/राजस्व विभाग एवं नियोजन विभाग,
   उ0 प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0।
7. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
8. जिलाधिकारी, मथुरा।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
10. संयुक्त निदेशक, पर्यटन आगरा मण्डल, आगरा।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।